जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – यातायात पुलिस **दिनांक – 15.10.2024**

दिनांक 16.10.2024 की प्रातः 06:00 बजे से 17.10.2024 की शाम 20:00 बजे तक नगर बिजनौर में भारी वाहनों के लिये रूट डायवर्जन प्लान निम्नानुसार रहेगा।

अवगत कराना है कि रेलवे के किमी 70/19-20 पर स्थित रेलवे समपार सं0 60/B (बिजनौर–नूरपुर बाईपास मार्ग पर रेलवे ट्रैक का अनुरक्षण का कार्य किया जाना है। अनुरक्षण कार्य हेतु उपरोक्त रेलवे समपार सभी प्रकार के वाहनों के लिए दिनांक 16.10.2024 की प्रातः 06:00 बजे से 17.10.2024 की शाम 20:00 बजे तक पूर्णतः बन्द रहेगा। नगर बिजनौर में भारी वाहनों के लिए बाईपास के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण भारी वाहनों का निम्नानुसार रूट डायवर्जन किया गया है।

1.मुजफ्फरनगर की तरफ से वाया बिजनौर होते हुए मुरादाबाद, काशीपुर, जसपुर की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के भारी वाहनों को थाना मीरापुर क्षेत्रान्तर्गत मोन्टी चौराहा से रुट डायवर्जन कर जनपद मेरठ, हापुड़, अमरोहा होते हुए मुरादाबाद की ओर भेजा जाएगा।

2.मुरादाबाद की ओर से वाया बिजनौर होते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के भारी वाहनों को अगवानपुर हाइवे से अमरोहा, हापुड़ हाते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर की ओर भेजा जाएगा।

3.अमरोहा की ओर से वाया बिजनौर होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के भारी वाहनों को वाया गजरौला, मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर भेजा जाएगा।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 15.10.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने ट्यूबवेल से स्टार्टर व तार आदि की चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो को चोरी किये गए 13 स्टार्टर व तार सहित किया गिरफ्तार तथा 03 अभियोगो का किया गया अनावरण।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.10.2024 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र विपिन कुमार निवासी ग्राम हसनपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नुरपुर पर तहरीर दी कि वादी तथा वादी के 03 पडोसीगण की ट्यूबवेल से अज्ञात चोर द्वारा स्टार्टर व ट्यूबवेल का तार चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 400/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 12.10.2024 को ही वादी श्री जावेश कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि के समय वादी तथा वादी के खेत के पडोसी कुल 08 किसानो की ट्यूबवेल से स्टार्टर व तार की चोरी की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 401/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.10.2024 को वादी श्री करन सिंह पुत्र चिरंजी सिंह निवासी ग्राम बाखराबाद खटाई थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी सहित 03 लोगो की खेत मे लगी ट्यूबवेल से अज्ञात चोर द्वारा स्टार्टर व केबल तार की चोरी की गई। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 404/24 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोगो की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 02 अभियुक्तगण 1.अजीम उर्फ भूरे पुत्र शमीम निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 2.हारुन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोगों मे प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.अजीम उर्फ भूरे पुत्र शमीम निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर 2.हारुन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर को स्विफ्ट कार VXI सफेद रंग नं0 UP16Q-8699 में नलकूपो से चोरी किये गए विभिन्न कम्पनी के कुल 13 स्टार्टर व करीब 05 किलो तांबे के तार सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त तीनो अभियोगो मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो अपने तीसरे साथी राशिद पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम नानक नंगली उर्फ नगलिया थाना नोगांवा सादात जनपद अमरोहा के साथ मिलकर जंगल में लगी किसानों की ट्यूबवैलों में रात्रि में घुसकर स्टार्टर व केबिल तार आदि तोडकर चोरी कर स्विफ्ट कार (बरामद की गई) मे रखकर ले जाते है। स्विफ्ट कार राशिद की है। आज हम चोरी किये गए सभी स्टार्टर व केबिल तार को इसी स्विफ्ट गाडी मे रखकर किसी कबाडी को बेचने के उद्देश्य से मुरादाबाद जा रहे थे।

अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त तीनो अभियोगो की घटनाओं का इकबाल करते हुए बताया कि हमसे मिले यह सभी स्टार्टर व केबिल तार उन्ही चोरी की घटनाओं के हैं।

अभियुक्तों के तीसरे साथी राशिद पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम नानक नंगली उर्फ नगलिया थाना नोगांवा सादात जनपद अमरोहा की शीघ्र गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अजीम उर्फ भूरे पुत्र शमीम निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर।

2. हारुन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1. नलकूपो से चोरी किये गये विभिन्न कम्पनियों के कुल 13 स्टार्टर
2. नलकूपो से चोरी किये गया 05 किलो तांबे के तार
3. घटना मे प्रयुक्त स्विफ्ट कार सं0 UP16Q-8699

अनावरित हुए अभियोगो का विवरण-

1.मु0अ0सं0 400/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2. मु0अ0सं0 401/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3. मु0अ0सं0 404/24 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 उमेश चन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 2588 राहुल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. का0 2469 अकुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5. का0 2562 सिद्दान्त थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
6. का0 2049 बोबी कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां **दिनांक – 15.10.2024**

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 128/24 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.10.2024 को वादिया ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि रात्रि में अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम मोर मखदूमपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर वादिया की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 128/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभिषेक उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। आज दिनांक 15.10.2024 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम मोर मखदूमपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम मोर मखदूमपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना शिवाला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2.हे0कां0 345 राजकुमार नागर थाना शिवालाकलाम जनपद बिजनौर

3.कां0 464 मोनू चौधरी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

4.म0कां0 212 चंचल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना को0 शहर दिनांक 15.10.2024

थाना को0 शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

थाना को0 शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त आमिर पुत्र रमजानी निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 979/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

आमिर पुत्र रमजानी निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.आरक्षी 904 विमल थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.का0 376 योगेश कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना धामपुर   दिनांक- 15.10.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 484/24 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को चोरी के आभूषण सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.10.2024 को वादी मौ0 इमरान पुत्र मकसूद नि0 मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 09.10.2024 की रात्रि मे अज्ञात अभियुक्त के द्वारा वादी के घर मे रखी अलमारी का ताला तोडकर उसमे रखे सोने-चांदी के आभूषण व कुछ कागजात तथा नगदी की चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 484/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त फिरोज पुत्र नौशाद अहमद नि0 मौ0 पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त फिरोज पुत्र नौशाद अहमद निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को पीली धातु के 04 कंगन (कडे), गले के 02 सैट व कानो के 02 जोडी झुमर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फिरोज पुत्र नौशाद अहमद नि0 मौ0 पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 484/24 धारा 305/317(2) BNS थाना धामपुर
2. मु0अ0सं0 505/2016 धारा 147/148/149/323/336/427/452/506 भादवि थाना धामपुर
3. मु0अ0सं0 396/2017धारा 392 भादवि थाना धामपुर
4. मु0अ0सं0 417/2017धारा 356/379/411 भादवि थाना धामपुर
5. मु0अ0सं0 418/2017धारा 356/379/411 भादवि थाना धामपुर

6. मु0अ0सं0 21/2019 धारा 392/411 भादवि थाना धामपुर
7. मु0अ0सं0 23/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना धामपुर
8. मु0अ0सं0 349/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना धामपुर
9. मु0अ0सं0 117/2019 धारा 120-बी /380/411 भादवि शेरकोट
10. मु0अ0सं0 175/2019 धारा 392/411 भादवि शेरकोट
11. मु0अ0सं0 179/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम शेरकोट
12. मु0अ0सं0 309/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना धामपुर
13. मु0अ0सं0 352/2019 धारा 2/3 गै0 एक्ट शेरकोट

बरामदगी-

1.चार कडे
2. गले के दो सैट
3. कानो के दो जोडी झुमर

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 895 रणजीत मलिक थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4. का0 53 धर्मराज सिहं थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 15.10.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने कथावाचक टीम के साथ मारपीट व पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14/15.10.2024 की रात्रि में समय करीब 00.30 बजे थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम चौकपुरी में दो पक्षो के मध्य झगडे की सूचना पर पीआरवी – 2405 मौके पर पहुंची थी तो ग्राम चौकपुरी निवासी तरूण पुत्र जोगेन्द्र सिंह जिसने घटना की सूचना भी दी थी व थाने का दुराचारी है द्वारा पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा पीआरवी वाहन का एक शीशा तोड दिया व स्थानीय पुलिस के मौके पर पहुंचने पर पुलिस पर भी पत्थर फेंके जिससे उ0नि0 कुलवीर सिंह व उ0नि0 जगत सिंह चोटिल हो गये। उक्त सम्बन्ध मे थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 157/2024 धारा 109/324(4)/351(3)/352 बीएनएस बनाम तरुण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त तरुण कुमार उपरोक्त द्वारा ग्राम चौकपुरी मे श्रीमदभागवत कथा करने आयी महिला कथावाचकों के साथ शराब के नशे में गाली-गलौच की गयी तथा उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गये तथा जान से मारने की धमकी दी एवं उनकी इको गाडी का आगे का शीशा व पीछे का बम्पर तोड दिया। इस सम्बंध में वादिनी श्रीमति दीपिका शर्मा पत्नी प्रशान्त दत्त शर्मा निवासी ग्राम सैन्दवार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 158/24 धारा 125/131/352/324(4)/351(3) बीएनएस बनाम तरुण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त तरुण कुमार पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त तरुण उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर गंभीर धाराओं में एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त तरुण थाना हीमपुर दीपा का दुराचारी अभियुक्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तरुण कुमार पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

दुराचारी अभियुक्त तरूण (HS-104A) का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 35/19 धारा 323/324/504 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 42/19 धारा 506 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 192/19 धारा 147/323/504/506 भादवि व धारा 3(1)(घ)/3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 264/19 धारा 147/148/149/307/323/34/504/506 भादवि थाना हीमपुर दीपा बिजनौर

5.मु0अ0सं0 306/21 धारा 147/148/149/188/269/270/307/34 भादवि व धारा 3 माहमारी अधि0 51(B) आ0प्र0अधि0, 7 सी0एल एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0सं0 197/22 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

7.मु0अ0सं0 61/23 धारा 323/504/506 भादवि 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

8.मु0अ0सं0 196/23 धारा 323/504/506/341/336/308 भादवि व धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

9.मु0अ0सं0 205/23 धारा 323/504/506/308 भादवि व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

10.मु0अ0सं0 230/23 धारा 323/324/427/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

11.मु0अ0सं0 929/23 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

12.मु0अ0सं0 157/24 धारा 109/324(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

13.मु0अ0सं0 158/24 धारा 125/131/352/324(4)/351(3) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्रीमती पुष्पा देवी प्रभारी निरीक्षक थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 मुकेश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

4.उ0नि0 कुलवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

5.उ0नि0 सोनू कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 15.10.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 29.11.2014 को वादी अशोक कुमार पुत्र अमीर सिंह निवासी ग्राम असगरपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पिता अमीर सिंह की शौच के लिये जाते समय जंगल में गला रेतकर हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 403/14 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में सुशील पुत्र स्व0 अमीर निवासी ग्राम असगरपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग में आरोपी अभियुक्त सुशील पुत्र स्व0 अमीर निवासी ग्राम असगरपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 50,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

सुशील पुत्र स्व0 अमीर निवासी ग्राम असगरपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक 15.10.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त आर्यन सिंह उर्फ आंशू नि0 ग्राम अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 512/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

आर्यन सिंह उर्फ आंशू नि0 ग्राम अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुभाषचन्द यादव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.का0 1790 राहुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.का0 2470 शिव कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–रिजर्व पुलिस लाइन दिनॉक 15.10.2024

रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में पर्यावरण जागरूकता "एक पेड़ **माँ** के नाम" कार्यक्रम का आयोजन ।

आज दिनांकः 15.10.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में "एक पेड माँ के नाम" के अवसर पर अध्यक्षा वामा सारथी श्रीमती रिया झा पत्नी श्री अभिषेक पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर एवं सदस्या वामा सारथी श्रीमती मीरा सिकरवार पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, प्रतिसार निरीक्षक बिजनौर के निर्देशन में बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं पुलिस कर्मियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें श्री संग्राम सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स जनपद बिजनौर, श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर, एवं अन्य शाखा प्रभारी उपस्थित रहें।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात दिनांक 15.10.2024

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0 214/24 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.10.2024 को वादी नरेन्द्र सिंह पुत्र हरस्वरूप सिंह निवासी ग्राम त्रिलोकावाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नसीम अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम महमूदपुर भावता कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 2. सुबहान अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी मौ0 कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर 3. भूपेश कुमार पुत्र नरेन्द्र पाल निवासी मौ0 कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर ने शिक्षा परिषद संस्था के निर्माण कार्य व अन्य विकास कार्यो के लिए उपलब्ध करवाये गये धन का जालसाजी एंव कूट रचित एंव फर्जी बिल बनाकर उक्त धन का गबन किया गया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0स0 214/24 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग वांछित अभियुक्त नसीम अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम महमूदपुर भावता कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नसीम अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम महमूदपुर भावता कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 ललित कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 141 हरमीत सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.मुख्य आरक्षी 462 शैलेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर